Coverage For GST Industry News

Publication	Edition	Date	Page No	City
The Economic Times (H)	New Delhi	07/10/2018	6	NEW DELHI

Readership	Width & Height	Total Size	Ad. Rate/Sq. cm	Total Ad. Value
100000	9*28(B/W Sq. Cm.)	252	160	40,320

Now exporters can see online refund status

एक्सपोर्टर अब ऑनलाइन देख सकते हैं रिफंड स्टेटस

GSTN ने स्टेटस बताने के साथ ही करेक्शन की सुविधा भी शुरू की

ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली

रिफंड में देरी से परेशान निर्यातकों को थोड़ी और सहूलियत देते हुए जीएसटीएन ने रिफंड क्लेम का स्टेटस ऑनलाइन देखने और तकनीकी बाधाओं को वहीं दूर करने की सुविधा शुरू कर दी है। जीएसटीएन ने रिफंड स्टेटस ट्रैकिंग सिस्टम के तहत कुछ खास कंडिशंस की लिस्टिंग की है, जो प्रोसेसिंग में आड़े आ सकती हैं और उन्हें देखकर टैक्सपेयर जरूरी संशोधन कर सकता है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं निर्यातकों को मिलेगी, जिन्होंने चुकाए गए आईजीएसटी और सेस के अगेंस्ट रिफंड क्लेम किया है। जिन निर्यातकों ने कोई टैक्स या सेस नहीं चुकाया है, लेकिन परचेज के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम किया है, उन्हें अब भी फिजिकल वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा।

एक जीएसटीएन अधिकारी ने बताया कि सोमवार से ट्रैक रिफंड स्टेटस सुविधा शुरू कर दी गई है।

- **यह सुविधा** सिर्फ उन्हीं निर्यातकों को मिलेगी, जिन्होंने चुकाए गए आईजीएसटी और सेस के अगेंस्ट रिफंड क्लेम किया है
- **जिन निर्यातकों** ने कोई टैक्स या सेस नहीं चुकाया है, लेकिन परचेज के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम किया है, उन्हें अब भी फिजिकल वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा
- **एक जीएसटीएन** अधिकारी ने बताया कि सोमवार से ट्रैक रिफंड स्टेटस सुविधा शुरू कर दी गई है। इसका लाभ करीब 60% आवेदकों को मिलेगा

इसका लाभ करीब 60% आवेदकों को मिलेगा। रिफंड स्टेटस के तहत पहली स्थिति यह हो सकती है कि टैक्स पेयर्स की ओर से दाखिल रिफंड डेटा प्रोसेस ही नहीं हुआ हो। ऐसे में स्टेटस दर्शाएगा कि 'डेटा जल्द प्रोसेस कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के पोर्टल (IceGate) पर भेजा जाएगा।' लेकिन सबसे आम स्थिति यह हो सकती है कि रिटर्न डेटा और इनवॉइस मैच नहीं करते, इसलिए Ice-Gate को नहीं भेजे गए हैं। यहां टैक्सपेयर्स को करेक्शन की छूट दी गई है। वे जीएसटीआर-1 के टेबल 9ए में भी संशोधन भी कर सकते हैं।

यह संशोधन अगले एग्जिक्यूशन साइकल में अपडेट हो जाएगा और एप्लिकेशन कस्टम पोर्टल को भेज दिया जाएगा। अगर भुगतान आधा-अधूरा है या आईजीएसटी या सेस का आंकड़ा रिफंड क्लेम से कम है तो भी आवेदन कस्टम तक नहीं जाता है। जीएसटीएन अधिकारियों कहना है कि एक बार डेटा कस्टम पोर्टल पर जाने और वहां से इस बात की तसदीक होने कि माल बाहर भेजा गया है, रिफंड अपने आप हो जाता है। लेकिन करीब 40% निर्यातकों की ओर से आने वाले क्लेम ऐसे होते हैं, जहां टैक्स भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन परचेज पर इनपुट क्रेडिट क्लेम किया जाता है।

ऐसे आईटीसी को हर हाल में रिफंड करना होता है। लेकिन जीएसटी अथॉरिटीज ऐसे क्लेम को लेकर ज्यादा सतर्क रहती हैं और अब तक की व्यवस्था के मुताबिक कुछ दस्तावेजों के जरिए उनकी खरीद का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही रिफंड जारी होता है। ऐसे में यह प्रक्रिया फिलहाल स्टेटस ट्रैकिंग से दूर है।